दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 17-07-2025

हाई कोर्ट ने कहा- पत्नी की कॉल डिटेल मांगना निजता का उल्लंघन, मोबाइल पर बातचीत मौलिक अधिकार

पति की याचिका की खारिज, फैमिली कोर्ट में आवेदन खारिज होने के बाद हाई कोर्ट पहुंचा था

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति-पत्नी के रिश्ते में भी निजता का अधिकार बरकरार रहता है(बिना ठोस आधार के पत्नी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर की मांग करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें मोबाइल पर की गई बातचीत भी शामिल है।

दुर्ग में रहने वाले व्यक्ति की शादी की 4 जुलाई 2022 को राजनांदगांव जिले की एक युवती से हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी मायके चली गई, इसके बाद लौटने से मना कर दिया। पति ने इसके बाद फैमिली कोर्ट में वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना और फिर विवाह विच्छेद की याचिका लगाई। इसी दौरान पत्नी ने भी धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग की। इसके अलावा याचिकाकर्ता के परिजनों पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा दिया। इसके बाद पति ने दुर्ग के एसएसपी को आवेदन देकर पत्नी के कॉल डिटेल उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन पुलिस ने इसे देने से मना कर दिया। फिर उसने फैमिली कोर्ट में आवेदन दिया, जो खारिज हो गया। इस आदेश के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कहा कि कॉल डिटेल से उसके खिलाफ चल रहे वैवाहिक विवाद में सच्चाई सामने आएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया।

कहा- व्यभिचार का आरोप नहीं

हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि याचिकाकर्ता ने विवाह विच्छेद की याचिका में कहीं भी व्यभिचार (अवैध संबंध) का आरोप नहीं लगाया है। कॉल डिटेल मांगने के आवेदन में भी ऐसा कोई आरोप नहीं था। इस कारण, फैमिली कोर्ट ने माना कि केवल संदेह के आधार पर पत्नी की कॉल डिटेल्स मांगना सही नहीं है।

वैवाहिक जीवन में विश्वास जरूरी

हाई कोर्ट ने कहा कि मोबाइल पर बातचीत करना भी निजता का हिस्सा है और किसी भी पति को पत्नी के मोबाइल की जानकारी या पासवर्ड मांगने का अधिकार नहीं है। वैवाहिक जीवन में विश्वास जरूरी है, लेकिन यह निजता का हनन नहीं कर सकता।

बिना किसी जांच पति पर लगाया नपुंसकता का आरोप हाई कोर्ट ने कहा- यह क्रूरता है, तलाक भी किया मंजूर

जांजगीर- चांपा फैमिली कोर्ट का आदेश किया रद्द, अवैध संबंध के भी आरोप, 2017 से अलग रह रहे दंपती

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि बिना किसी चिकित्सकीय प्रमाण के पति पर नपुंसकता जैसे गंभीर आरोप मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। यह तलाक का वैध आधार है। पति ने जांजगीर-चांपा के फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

जांजगीर- चांपा में रहने वाले व्यक्ति की शादी 2 जून 2013 को बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में रहने वाली महिला के साथ हुई थी। पति शिक्षाकर्मी के रूप में बैकुंठपुर की चर्चा कॉलरी में पदस्थ था, जबकि पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। विवाह के बाद दोनों के बीच कोई संतान नहीं हुई। विवाह के कुछ समय बाद पत्नी पति पर नौकरी छोड़ने या तबादला कराने का दबाव बनाती रही। 2017 से दोनों पूरी तरह अलग रह रहे थे। सात साल बाद पति ने वर्ष 2022 में फैमिली कोर्ट में तलाक की मांग करते हुए आवेदन लगाया। सुनवाई के दौरान पत्नी ने पति पर यह आरोप लगाया कि वह यौन संबंध बनाने में असमर्थ है। उसने यह स्वीकार किया कि उसके पास इस दावे का कोई मेडिकल प्रमाण नहीं है। वहीं, पति ने बताया कि पत्नी ने उस पर पड़ोस की महिला से अवैध संबंध का झूठा आरोप लगाया।

बगैर प्रमाण आरोप मानसिक क्रूरता: हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति पर बिना सबूत के नपुंसकता का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है। यह आरोप न केवल मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि पति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है।

पड़ोसी महिला से अवैध संबंध के भी झूठे आरोप

सामाजिक बैठक में भी महिला सुलह कराने की कोशिश कर रहे अपने जीजा के साथ झगड़ा कर लिया था। इसके अलावा, पत्नी ने पति पर पड़ोसी महिला के साथ अवैध संबंध का झूठा आरोप लगाया था। हाई कोर्ट ने कहा कि यह भी गंभीर क्रूरता की श्रेणी में आता है।

फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द, पति को राहत

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के निर्णय को गंभीर त्रुटिपूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया है। कहा कि पति ने पत्नी के खिलाफ क्रूरता और परित्याग के आरोपों को सिद्ध किया गया है। ऐसे में विवाह को बनाए रखना न्याय और विधि के अनुरूप नहीं होगा।